मोहरी रेल दुर्घटना

६६६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने परिवारों को, जिनके सम्बन्धी मोहरी स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मारे गये थे, अब तक क्षति पूर्ति दी जा चुकी है;

(ख) जिन लोगों के सम्बन्धी उक्त दुर्घटना में मारे गये थे, किन्तु जिन के शव नहीं पहचाने जा सके थे यद्यपि उक्त दुर्घटना से उन की मृत्यु होने के ठोस प्रमाण हैं, उन लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है; और

(ग) क्या सरकार उन लोगों को सहायता देने का विचार कर रही है जिन के इस दुर्घटना के कारण अंग भंग हो गये थे और जो अब शेष जीवन कोई भी व्यवसाय करने के लिये अयोग्य हो गये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४ ।

(ख) दावा कमिश्नर, जो जूडीशियल अफसर होते हैं, सब दावों की जांच कर के उन का फैसला करते हैं । सवाल में जिस तरह के मामलों का जिक्र किया गया है उन में क्षतिपूर्ति देने का अधिकार तदर्थ दावा कमिश्नर (ad hoc Claims Commissioner) को है जो इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हैं।

(ग) दावा कमिश्नर ने क्षतिपूर्ति की जो रकम मंजूर की है, उस के देने के अलावा सरकार इस बात पर भी राजी हो गई है कि जिन्हें जरूरत हो, उन्हें सरकारी खर्च पर कृत्रिम अंग (artificial limbs) दिये जायें ।

गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव

६६७. श्री सरजू पाण्डे : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये १९५७-५८ में राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) किन-किन राज्य सरकारों ने अब तक उक्त राशि का उपयोग किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सब स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर साल भर के अन्दर होने वाले खर्च के लिये राज्य सरकारों को हर साल कर्जे दिये जाते हैं । वास्तविक खर्च के आधार पर इन कर्जों की रकमों को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जाता है । उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये १९५७-५८ में निम्नलिखित स्वीकृत योजनायें चालू कीं या समाप्त कीं और इन योजनाओं का खर्चा राज्य सरकारों ने उस साल उन को मिले हुए कर्जे (उत्तर प्रदेश—२८० लाख रुपये, बिहार—२६८ लाख रुपये) में से पूरा किया :—

स्वीकृत योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार द्वारा सूचित १९५७-५८ में हुआ खर्चा (लाख रुपयों में)
(१) उत्तर प्रदेश		
हरिद्वार के पास कनखल शहर के बचाव के लिये मायापुर में ठोकर (स्पर) बनाना		